कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(सेतु विंग)
उ0प्र0, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ

पत्रांक : 4471 / कैम्प-मु०अभि०(सेतु)-से० मा० नि०/23-24 दिनांक : 18.04.2023

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
लोक निर्माण अनुभाग-10,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः- नव-प्रस्तावित सेतुओं के चयन मानकों का निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में नव-प्रस्तावित दीर्घ एवं लघु सेतुओं के चयन मानकों का निर्धारण करने हेतु प्रस्ताव हाई पावर कमेटी के समक्ष दि0 17.04.23 को प्रस्तुत किया गया जिस पर सर्व-सम्मति से सहमति व्यक्त की गयी। सहमति उपरान्त सेतुओं के चयन मानकों को विभाग में लागू करने के लिये अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
18/4/23
(सन्दीप कुमार)
प्रमुख अभियन्ता (विकास)
एवं विभागाध्यक्ष,
लो0नि0वि0,लखनऊ

कार्यवृत्त- HPC

नव–प्रस्तावित सेतुओं के चयन मानकों का निर्धारण

एजेण्डा : नव–प्रस्तावित सेतुओं के चयन हेतु मानक निर्धारण किया जाना।

राज्य के अगले पांच वर्षों में ट्रिलियन–डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के दृष्टिगत, राज्य की Logistics Efficiency में सुधार के लिए रणनीतिक स्थानों में सेतुओं का निर्माण करना सरकार के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिसके लिए एक व्यापक सेतु चयन नीति की आवश्यकता है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में, राज्य की वर्तमान आवश्यकताओं एवं प्रदेश में समग्र, सुनियोजित विकास के दृष्टिगत, सेतु निर्माण कार्यों की प्राथमिकता हेतु निम्नलिखित मापदंड प्रस्तावित हैं –

1 - दीर्घ सेतु

नव प्रस्तावित दीर्घ सेतुओं के चयन मानकों का निर्धारण

पूर्व में सेतु निर्माण के मानक निर्धारण के सम्बन्ध में निम्नलिखित पत्र निर्गत किये गये हैं :–

क्रम सं0	प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष का पत्रांक	विवरण (पत्र में अंकित विवरण)
1	2	3
1	पत्रांक–496कैम्प–प्र0अ0विकास /03 (मु0–1)/2016, दि0 06.12.16	इस पत्र के क्रमांक–5 पर सेतु के सम्बन्ध निम्न निर्देश दिये गये हैं। **"सेतु निर्माण के सम्बन्ध में वर्तमान नीति के अनुसार प्रस्तावित स्थल से 10.00 किमी0 अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में सेतु होने की स्थिति में सेतु का आगणन न बनाया जाये।"**
2	पत्रांक–338कैम्प–प्र0अ0विकास / 4सेतु/2008, दि0 02.04.08	इस पत्र के क्रमांक–2 पर निम्नवत् निर्देश अंकित हैं। **"ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित स्थल से 10.00 किमी0 के अन्दर अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में पहले से यदि सेतु निर्मित है तो उस स्थल पर नये सेतु का निर्माण नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि किसी धार्मिक स्थल, पर्यटन महत्व अथवा सार्वजनिक प्रयोजन के दृष्टिकोण से ऐसा आवश्यक है तो शासन द्वारा तदानुसार निर्णय लिये जायेंगे।"**
3	पत्रांक–772/सेतु(सामान्य) (वॉल्यूम–5)/सेतु–6/2022–23, दि0 16.08.22	उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निर्देश दिये जाते हैं कि सेतु निर्माण के सम्बन्ध में उपरोक्त व्यवस्था शत्–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त मानकों का पालन दीर्घ सेतुओं (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) के लिये किया जा रहा है। वर्तमान मानक लगभग 15 वर्ष पूर्व निर्धारित किये गये थे। इस अवधि में मार्गों का घनत्व, यातायात का घनत्व एवं जनसंख्या में

काफी वृद्धि हुई है। अतः इनका पुनः निर्धारण आवश्यक हो गया है। इसी क्रम में दीर्घ सेतुओं के चयन हेतु मानकों का निर्धारण निम्नवत् प्रस्तावित किया जाता है :–

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित सेतु स्थल से अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में स्थित सेतुओं की एरियल (Aerial) दूरी 10 किमी0 से कम न हो। शहरी क्षेत्रों में ऐसा कोई प्रतिबन्ध मान्य नहीं होगा।

(2) प्रस्तावित पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग द्वारा सेतु दोनों तरफ से पूर्व निर्मित लेपित/सर्व ऋतु मार्गों से जुड़ जाये।

(3) सेतु के दोनों ओर के पहुँच मार्गों की अधिकतम लम्बाई 200 – 200 मीटर रखी जाए। अवशेष मार्ग अतिरिक्त पहुंच मार्ग के रूप में न्यूनतम इतनी लम्बाई में प्रस्तावित किया जाए कि प्रस्तावित सेतु दोनों तरफ से सर्व ऋतु लेपित मार्ग से जुड़ जाये।

(4) भूमि अधिग्रहण अपरिहार्य परिस्थितियों में न्यूनतम आवश्यकता अनुसार ही किया जाए। उपलब्ध सरकारी / नजूल भूमि / निशुल्क उपलब्ध भूमि का शत प्रतिशत उपयोग किया जाए।

(5) क्षेत्रों से प्राप्त समस्त प्रस्तावों को सीमित बजट व्यवस्था एवं वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। अतः प्रत्येक विधान सभा में जो भी प्रस्ताव प्राप्त होंगे उनकी प्राथमिकता निम्न तालिका में निर्धारित मापदंडों से प्राप्त अंकों के आधार पर अवरोही क्रम में सूची बनाकर तैयार की जाएगी जिसमें 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रस्ताव को पात्र माना जायेगा।

S. No.	Criteria	Limiting Criteria	Max. Score	Scoring Strategy
1	Total Length of approach road, and additional approach required for the bridge to connect both sides with all-weather roads	Approach road – 200m on either side	20	• Upto 2 km – 20 points • Between 2-5 km – 15 points • More than 5 km – 10 points
2	Aerial Distance from existing bridge on either upstream or downstream of the stream/ river/ canal/ nala	• Not Less than 10 km in rural areas • No such limits in urban area	40	• Less than 10 km – 0 points • Between 10-15 km – 30 points • Between 15-20 km – 35 points • More than 20 km – 40 points • For Urban Area, no such condition exists – 40 points
3	Total Population benefited from the bridge construction	-	10	• Less than 10,000 – 0 points • Between 10,000 and 30,000 – 5 points • More than 30,000 – 10 points
4	Total number of villages benefitted from the bridge construction	-	10	• Less than 5 – 0 points • Between 5-10 – 5 points • More than 10 – 10 points
5	Potential reduction of existing travel distance of the benefited population	-	10	• Upto 5 km – 0 points • Between 5-10 km – 5 points • More than 10 km – 10 points
6	Land Acquisition	-	10	• Yes – 0 points • No – 10 points

2 - लघु सेतु

नव प्रस्तावित लघु सेतुओं (स्पान 6.00 से 60.00मी0 तक) के चयन मानकों का निर्धारण–

लघु सेतुओं को उनकी लम्बाई के आधार पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :–

(अ)– **30.00 मी0 तक के लम्बाई के लघु सेतु,**

(ब)– **30.00 मी0 से 60.00 मी0 तक लम्बाई के लघु सेतु**

इन लघु सेतुओं हेतु चयन मानक निम्नवत् प्रस्तावित किये जाते हैं :–

(अ) –**30.00 मी0 तक के लम्बाई के लघु सेतु** :– ग्रामीण क्षेत्रों में इनके चयन हेतु निम्नवत् मानक प्रस्तावित किये जाते हैं–

(1) प्रस्तावित लघु सेतु के दोनों ओर के पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग की कुल लम्बाई 1.00 किमी0 से अधिक न हो।

(2) प्रस्तावित पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग द्वारा सेतु दोनों तरफ से पूर्व निर्मित लेपित/सर्व ऋतु मार्गों से जुड़ जाये।

(3) प्रस्तावित सेतु स्थल से अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में स्थित सेतुओं की एरियल (Aerial) दूरी 2.00 किमी0 से कम न हो।

(4) सेतु, पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध हों। भूमि अधिग्रहण ना किया जाये।

(5) इन लघु सेतुओं में दोनों ओर के पहुँच मार्गों में प्रत्येक ओर अधिकतम लम्बाई 100मी0 तक सीमित रखी जाये। अवषेष लम्बाई अतिरिक्त पहुंच मार्ग के रूप में प्रस्तावित की जाये।

(6) यदि कोई लघु सेतु ऐसा है जिसका निर्माण अति आवश्यक एवं अपरिहार्य हो परन्तु इनमें से कोई मानक पूर्ण नहीं करता हो तो इसे मार्ग निर्माण की योजनाओं (अनुदान सं0–58) में स्वीकृत कराया जाये।

(7) क्षेत्रों से प्राप्त समस्त प्रस्तावों को सीमित बजट अथवा वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। अतः प्रत्येक विधान सभा में जो भी प्रस्ताव प्राप्त होंगे उनकी प्राथमिकता निम्न तालिका में निर्धारित मापदंडों से प्राप्त अंकों के आधार पर अवरोही क्रम में सूची बना कर तैयार की जाएगी जिसमें 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रस्ताव को पात्र माना जायेगा।

S. No.	Criteria	Limiting Criteria	Max. Score	Score
1	Total Length of approach road, and additional approach required for the bridge to connect both sides with all-weather roads	Not More than 1 km	30	• Upto 500m – 30 points • Between 500m-1 km – 25 points • More than 1 km – 0 points
2	Aerial Distance from existing bridge on either upstream or downstream of the stream/ canal/ nala	Not Less than 2 km	40	• Upto 2 km – 0 points • Between 2-3 km – 25 points • Between 3-5 km – 35 points • More than 5 km – 40 points

S. No.	Criteria	Limiting Criteria	Max. Score	Score
3	Proposed Length of approach road	Max. Upto 100m	20	• Upto 50 m – 20 points • Between 50-100 m – 15 points • More than 100 m – 0 points
4	Land Acquisition for the construction of approach road	Not Allowed	10	• Yes – 0 points • No – 10 points

(ब) - **30.00 मी0 से 60.00 मी0 तक लम्बाई के लघु सेतु** :– ग्रामीण क्षेत्रों में इनके चयन हेतु निम्नवत् मानक प्रस्तावित किये जाते हैं–

(1) सेतु के दोनों ओर के पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग की कुल लम्बाई 2.00 किमी0 से अधिक न हो।

(2) प्रस्तावित पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग द्वारा सेतु दोनों तरफ से लेपित/सर्व ऋतु मार्गों से जुड़ जाये।

(3) प्रस्तावित सेतु स्थल से अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में स्थित सेतुओं की एरियल (Aerial) दूरी 5.00 किमी0 से कम न हो।

(4) सेतु, पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध हों। भूमि अधिग्रहण ना किया जाये।

(5) इन लघु सेतुओं में पहुँच मार्गों में प्रत्येक ओर अधिकतम लम्बाई 150मी0 तक सीमित रखा जाये। अवषेष लम्बाई अतिरिक्त पहुंच मार्ग के रूप में प्रस्तावित की जाये।

(6) यदि कोई लघु सेतु ऐसा है जिसका निर्माण अति आवष्यक एवं अपरिहार्य हो परन्तु इनमें से कोई मानक पूर्ण नहीं करता हो तो इसे मार्ग निर्माण की योजनाओं (अनुदान सं0–58) में स्वीकृत कराया जाये।

(7) क्षेत्रों से प्राप्त समस्त प्रस्तावों को सीमित बजट अथवा वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। अतः प्रत्येक विधान सभा में जो भी प्रस्ताव प्राप्त होंगे उनकी प्राथमिकता निम्न तालिका में निर्धारित मापदंडों से प्राप्त अंकों के आधार पर अवरोही क्रम में सूची बना कर तैयार की जाएगी जिसमें 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रस्ताव को पात्र माना जायेगा।

S. No.	Criteria	Limiting Criteria	Max. Score	Score
1	Total Length of approach road, and additional approach required for the bridge to connect both sides with all-weather roads	Not More than 2 km	30	• Upto 1 km – 30 points • Between 1-2 km – 20 points • More than 2 km – 0 points
2	Aerial Distance from existing bridge on either upstream or downstream of the stream/ canal/ nala	Not Less than 5 km	40	• Upto 5 km – 0 points • Between 5-6 km – 20 points • Between 6-7 km – 30 points • More than 7 km – 40 points
3	Proposed Length of approach road	Max. Upto 150m	20	• Upto 100 m – 20 points • Between 100-150 m – 15 points • More than 150 m – 0 points
4	Land Acquisition for the construction of approach road	Not Allowed	10	• Yes – 0 points • No – 10 points

1. उपरोक्त बिन्दु सं0 (अ) एवं (ब) के प्रतिबन्ध नगरीय क्षेत्रों जैसे नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत तथा जिला मुख्यालय वाले नगरों की नगरीय/शहरी सीमा के लिए लागू नहीं होंगे।

2. किसी प्रस्तावित नव मार्ग (अनुदान सं0–58 कार्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हेतु) के संरेखण पर पड़ने वाले लघु सेतु के निर्माण के लिये उपरोक्त बिन्दु सं0 (अ) एवं (ब) के प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे।

3. सकरे, क्षतिग्रस्त एवं जलमग्न रपटे आदि पूर्व निर्मित सेतुओं के स्थान पर यातायात सुरक्षा के दृष्टिगत प्रस्तावित लघु सेतुओं पर उपरोक्त बिन्दु सं0 (अ) एवं (ब) के मानक लागू नहीं होंगे।

नव प्रस्तावित लघु एवं दीर्घ सेतुओं के चयन मानकों के निर्धारण के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार प्रस्तावित हाई पावर कमेटी के सम्मुख निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

17/4/23

मुख्य अभियन्ता
(सेतु)
(प्रस्तुतकर्ता अधिकारी)
लो0नि0वि0, लखनऊ

17/4

मुख्य अभियन्ता
(मुख्यालय-1)
सदस्य
लो0नि0वि0, लखनऊ

मुख्य अभियन्ता
(मुख्यालय-2)
सदस्य/संयोजक
लो0नि0वि0, लखनऊ

17/4/23

मुख्य अभियन्ता
(बाह्य सहायतित)
सदस्य
लो0नि0वि0, लखनऊ

17/4/23

मुख्य अभियन्ता
(रा0मा0)
सदस्य
लो0नि0वि0, लखनऊ

17/04/2023

प्रमुख अभियन्ता
(परि0/नियो0)
सदस्य
लो0नि0वि0, लखनऊ

प्रमुख अभियन्ता
(ग्रामीण सड़क)
सदस्य
लो0नि0वि0, लखनऊ

17/4

प्रमुख अभियन्ता
(विकास) एवं विभागाध्यक्ष
अध्यक्ष
लो0नि0वि0, लखनऊ